"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 23, शक 1937

### परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

### शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 1-13/आठ-परि./2015.— छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 के पृष्ठ क्र. 998 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2008 से संबंधित अधिसूचना क्र. एफ-1-13/आठ-परि./2015 के अंग्रेजी संस्करण में, तृतीय पंक्ति में, "class-II" को "class-III" पढ़ा जाये.

No. F 1-13/viii-Trans/2015.— In the English version of Notification No. F-1-13/viii-Trans/2015, dated 14th October, 2015 relating to the Chhattisgarh Transport Department Sub-Ordinate, Class-III (Executive) Service Recruitment and Condition of Service Rules, 2008 as published in Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary), dated 14th October, 2015, at page No. 998, in line No. 3, for "class-II" read "class-III".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विजय कुमार धुर्वे**, संयुक्त सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.